

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुकम	मुकदमा सं. Gcms-2024/370	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मै.जे.के.सीमेंट बनाम भूससम कौ०	नंबर व तारीख जो इस हुक तामील में ज
---------------	-----------------------------	---	--

वाद संख्या 201/2024

F.D हेतु
हरामत
Rams
राजस्व आकास
(रि०)
Ahu

03/04
2025

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। तहसीलदार (भू०अ०) नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/791 दिनांक 07.03.2025 द्वारा विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकूलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि हमारा दावा मुख्यतः बटवारे का है, प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.08.2024 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से उभय पक्ष अधिवक्ता सहमत है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ. डी. कर दिया जावे। वकूलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है, जिससे वकूलाय उभय पक्ष सहमत है। सहमती बाबत वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी ने अपने-अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर दर्ज किये। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/791 दिनांक 07.03.2025 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दर्शामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(Signature)
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (राज.)
व इजलास: राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) : उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
मै. जे. के. सीमेन्ट बनाम भूराराम वगै.
-वादी- -प्रतिवादीगण-

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 201 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना व हाजरी श्री औमप्रकाश महला, श्री रविन्द्र सिंह जाखड़ कोर्ट उपस्थित। वादी मिनजानिब मुद्दई - हाजरी प्रतिवादी श्री बलवीर सिंह जाखड़ कोर्ट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी गयी है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भूअ. 2025/791 दिनांक 07.03.2025 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक काबिज खातेदार शतकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज.....×.....मुबलिंग.....×.....बाबत.....×.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....×.....फीसदी सलाना
आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....×.....को अदा करें।
इसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03 माह 04 सन् 2025 को जारी की गई।



(Signature)
दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
राजवीर सिंह यादव
नीमकाथाना (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय			मुतफरिक		
हुकमनामा					
मुतफरिक					
मैजान			मीजान		

- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।